

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

86/2017/प्रा.पत्र/2017

24.11.2017

04.01.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री लीलाराम सिंधी पुत्र रूपचन्द्र सिंधी जाति सिंधी निवासी गली नं. 2 सिंधी कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स प्रेम डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड टॉल के पास निवाई जिला टोंक राज0
2. मैसर्स प्रेम डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड टॉल के पास निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डननीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2—अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 04.01.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.08.2017 को समय 4.00 पी.एम. पर मैसर्स प्रेम डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड टॉल के पास निवाई जिला टोंक राज0पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से लीलाराम सिंधी पुत्र रूपचन्द्र सिंधी जाति सिंधी निवासी गली नं. 2 सिंधी कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स प्रेम डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड टॉल के पास निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार तेल, गुड, घी, शक्कर व मसाले आदि करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में फ्रीज के अन्दर प्लास्टिक की थैलियों में लगभग 2 कि0ग्रा0 घी रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री लीलाराम सिंधी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्वय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता लीलाराम सिंधी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में फ्रीज के अन्दर प्लास्टिक की थैलियों में लगभग 2 कि0ग्रा0 घी को निकालकर मिलावट की शंका होने के कारण अच्छी तरह से हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर तोलने की मशीन से 800 ग्राम घी तुलवाकर एक स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री लीलाराम सिंधी को रू0 240/-अक्षर दो सो चालीस रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी 800 ग्राम के चार भाग 200-200 ग्राम के बराबर-बराबर तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी कौंच की चार शिशियों में प्रत्येक शिशी में 200-200 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी को हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1707 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

715

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1707 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. लीलाराम सिंधी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/3885 दिनांक 17.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/531/एक्ट/2017/531 दिनांक 09.08.2017 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 10.10.2017 के अनुसार लीलाराम सिंधी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (ZX)के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सपटित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री लीलाराम सिंधी पुत्र रूपचन्द सिंधी जाति सिंधी निवासी गली नं. 2 सिंधी कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स प्रेम डिपार्टमेन्टल स्टोर जयपुर रोड टॉल के पास निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ती 21,000/- (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.01.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0